राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

विषयः– राजस्थान विधानसभा में गठित विभिन्न समितियों के समक्ष विभागाध्यक्षों के परीक्षण के लिए साक्ष्य हेतु बुलाने पर परीक्षण स्थगित करवाने के संबंध में।

आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक अशा. टीप दिनांक 01.07.2015 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा यह निर्देश जारी किए हुए हैं कि भविष्य में समिति की बैठक को स्थगित करने हेतु निम्नहस्ताक्षरकर्ता की ओर से सचिव, राजस्थान विधानसभा को पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व बैठक स्थगित करने के पर्याप्त कारणों के संबंध में प्रथमतः आप Self Satisfied होने के पश्चात यदि विभाग द्वारा सभी प्रकार के Efforts करने के बाद भी परीक्षण बैठक का स्थगन कराना नितान्त ही आवश्यक हो तो ही परीक्षण की बैठक को स्थगित करने संबंधी प्रस्ताव/पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। भविष्य में इस बात का भी ध्यान रखा जावे कि इस प्रकार की परीक्षण बैठक को स्थगन के प्रस्ताव रूटीन में नहीं भिजवाये

सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ने अशा0 पत्रांक एफ 1(14) (2)साशा/विस/2013/48162 दिनांक 25.11.2016 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान विधानसभा में गठित विभिन्न समितियों की बैठके पिछले कुछ समय से परीक्षण स्थगित कराने की प्रवृत्ति तेज हुई है। ऐसा विदित होता है कि अधिकारीगण परीक्षण से बचने का रास्ता ढूंढते है तथा ऐन वक्त पर परीक्षण स्थगित कराने का पत्र भिजवाते है। जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने अत्यंत गम्भीरता से लिया है तथा यह निर्देश दिये है कि विधानसभा के कार्य को राज्य सरकार के कार्यो से पूर्व प्राथमिकता दी जावे। भविष्य में जब तक ठोस कारण न हो, तब तक परीक्षण बैठक स्थगित नहीं की जायेगी और अनाश्यक रूप से परीक्षण बैठक स्थगित कराने को गम्भीरता से लिया जायेगा। बहुत ही आवश्यक होने पर परीक्षण बैठक स्थगित करने का पत्र भिजवाये।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में उनके द्वारा समिति की बैठक को स्थगित करने हेतु निम्नहस्ताक्षरकर्ता की ओर से सचिव, राजस्थान विधानसभा को पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व बैठक स्थगित करने के कारणों की पर्याप्तता के संबंध में प्रथमतः आप Self Satisfied होने के पश्चात यदि विभाग द्वारा सभी प्रकार के Efforts करने के बाद भी परीक्षण बैठक का स्थगन कराना नितान्त ही आवश्यक हो तो ही परीक्षण की बैठक को स्थगित करने संबंधी प्रस्ताव/पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। भविष्य में इस बात का भी ध्यान रखा जावे कि इस प्रकार की परीक्षण बैठक को स्थगन के प्रस्ताव रूटीन में नहीं भिजवाये तथा विधानसभा के कार्य को राज्य सरकार के कार्यो से पूर्व प्राथमिकता दी जावे।

अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(ओ0 पी0 मीणा)
मुख्य सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

अशा0 टीप संख्या प. 20(1)संसद/2007
जयपुर, दिनांक 13-12-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर को उनके अशा0 पत्रांक एफ 1(14)(2)साशा/विस/2013/48162 दिनांक 25.11.2016 के संदर्भ में।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव को उनके ई. ऑफिस प्राप्ति संख्या 1357468/2016/सी.एस. दिनांक 28.11.2016 के क्रम में।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव